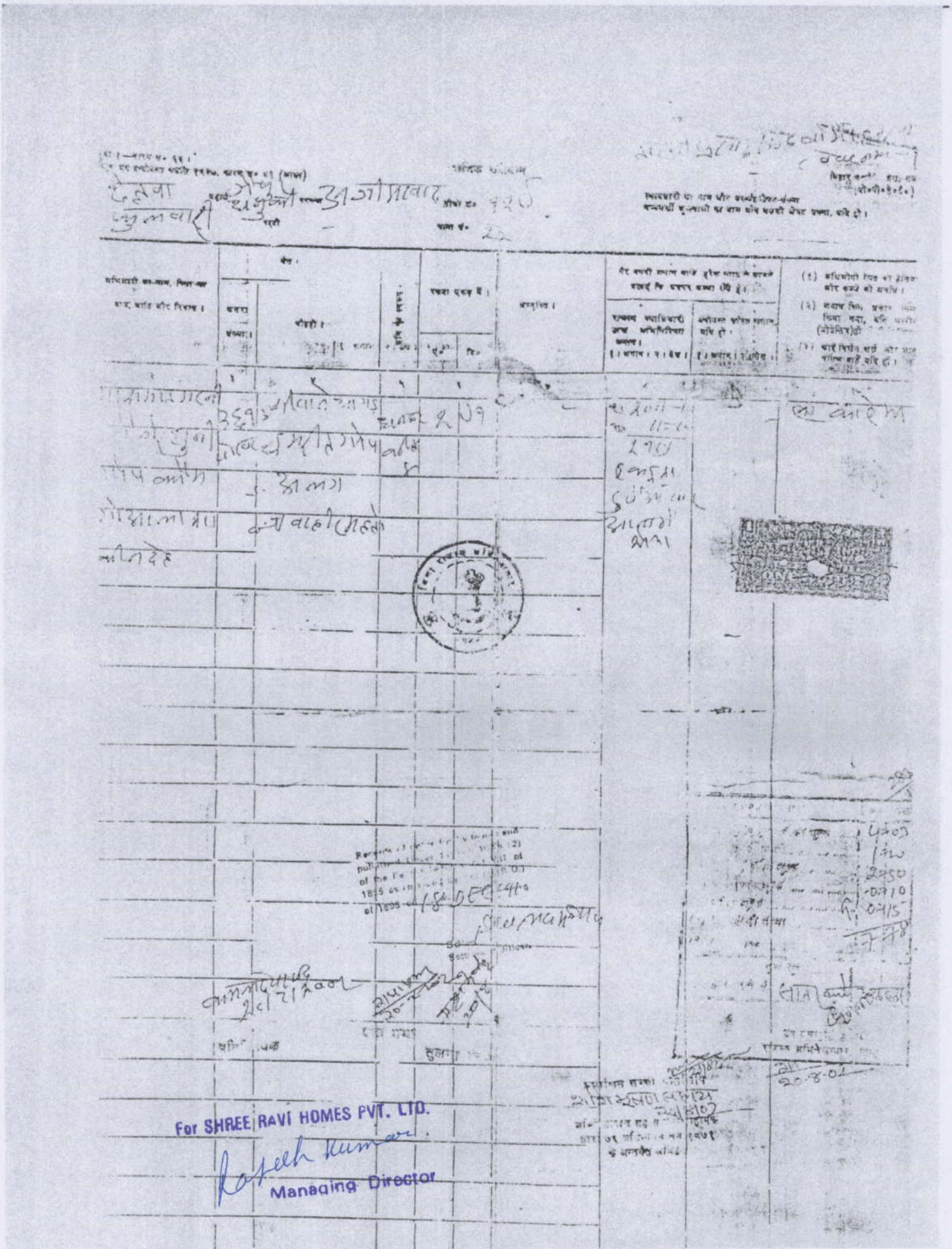


For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.

Managing Director

Before

The Notary public,
Civil court, P A T N A

A F F I D A V I T

I, Chandradeep Roy son of Late Janak Rai, resident of village Changar P.S.-Kankarbagh, District Patna do hereby solemnly affirm and declare as follows :-

1. That the Geneological Table of my family is furnished hereunder :-

Geneological Table

Chaman Gope

Raghunath Gope
Wife
Mussmat Marni
(Issueless)

Remphal Gope

Gulab Gope
Issueless)

Nirpat Gope
(Issue less)

Sampat Gope

Janak Rai

Punwa Devi

Somaria Devi, Sikuri Devi

Chandradeep Rai.

Laxmi Rai

Girja Rai

Moti Rai

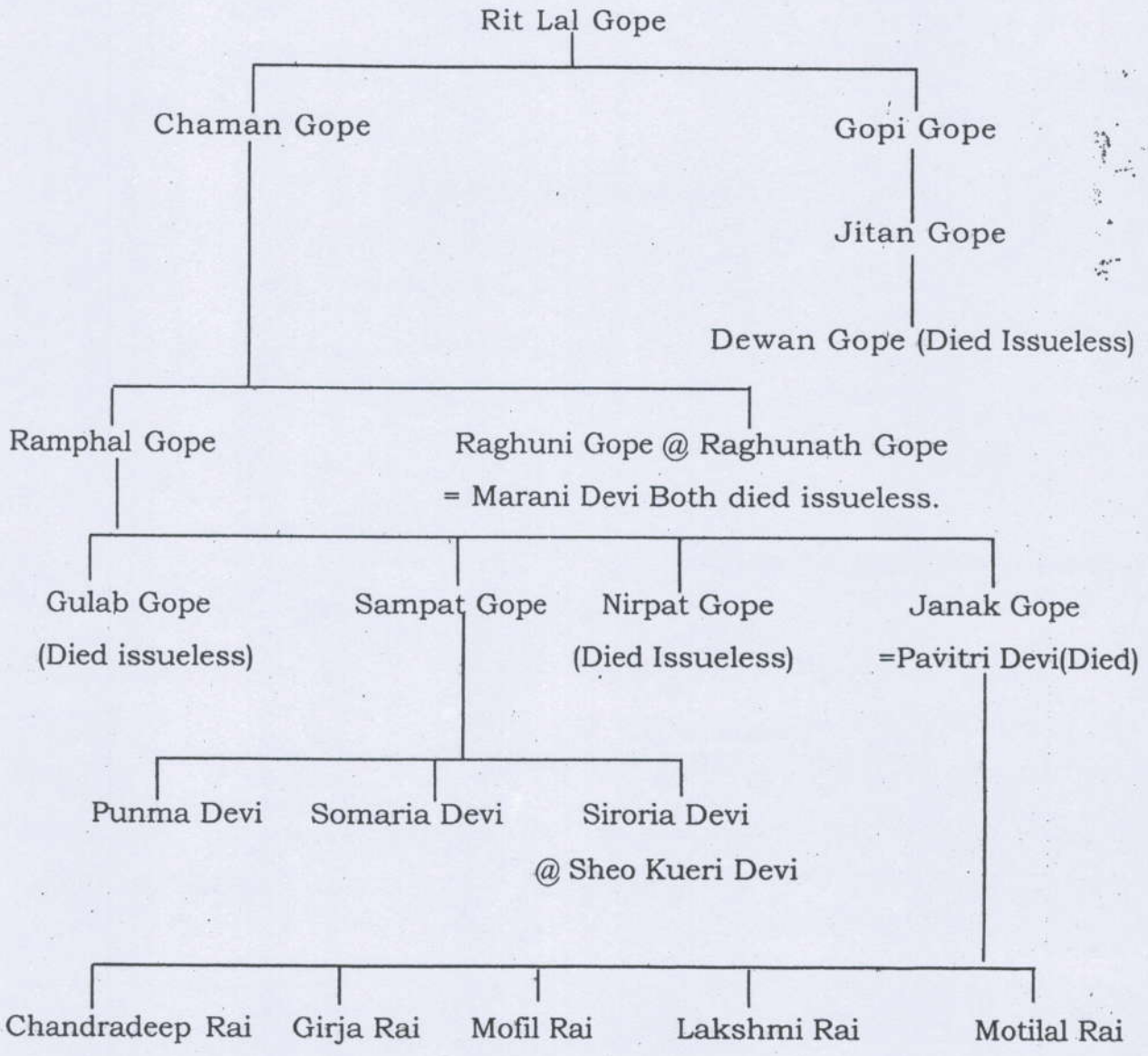
Moffil Rai.

2. That the discripation of family member given above in geneological table as well as content of this Affidavit have been read over to me in Hindi which I have understood and are fully true and correct as per my knowledge and belief.

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.

17/07/2012

Geenealogical Table



Note:-

स्व0 सम्पत गोप की पुत्री पुनमा देवी वर्ष 1962 में टाइटिल सूट न0 119/62 से अपने पिता सम्पत गोप के हिस्से का सम्पति चाचा जनक गोप से अलग कर ली।

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.

Director

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

(भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र)

पत्रांक 471
21-8-10

नाम पार्वती देवी, पति-स्व० जनक राय ग्राम पचौरा

थाना बेलदारी जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा एकड़	रकबा डि०
पचौरा - 28	129	17	361	0	25½

अं० अ०

आवेदित भूमि का पंजी II से मिलान किया। जमाबंदी नं० 70 बनाम जनक राय पिता रामफल राय निवासी-पचौरा के नाम पर दर्ज है एवं जमाबंदी में खाता-17 रकबा 0.25½ ए० भूमि अंकित है। बकाया वर्ष 1990-91 तक वसूल है। बही में जमाबंदी में कोई अद्यतन नहीं किया गया है।

जमीन खेती है। कोई आपत्ति/अतिरिक्त दावेदार नहीं है तथा जमीन पर जमाबंदी धारक का अधिकार है। अंचल कार्यालय बेलदारी में उपलब्ध कागजात के आधार पर जमाबंदी धारक का भू-स्वामित्व प्रमाणित होता है।

आवेदिका जमाबंदी धारक की पत्नी है। भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र एवं जमाबंदी धारक का मृत्यु-प्रमाण संलग्न है।

Note: Land Possession Certificate हेतु आवेदन प्रतिवेदन सहित।

21/8/10

अंचल अधिकारी
पटना

कर्मचारी का प्रतिवेदन
1990-91 तक बकाया वसूली कार्य पंजी II के आधार पर प्रतिवेदित है।

21/8/10

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.
Managing Director

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

(भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र)

पत्रांक 466
दि- 8-

चन्दौली पिता-स्व० जनकराम ग्राम चौहान

थाना छेछड़काछ जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकवा एकड़	रकवा डि०
मौजा-लखवा — 23	129	17	361	~~2~~ 0	~~91~~ 24

अंचल

आवेदित भूमि का पंजीयन के किलात किया।
पिपरझी मिल्क प्लांट के

मौजा थाना	खाता	रकवा	अभियुक्ति
हेलखे 23	17	0.24	श्रेया-श्री चन्द्रशेखर प्रसाद साo चौगाई,

वर्तमान वर्ष 2002-03 तक पुराना रसीद पत्र उपलब्ध नहीं रहने के कारण वर्तमान अभियुक्त नहीं किया जा सका है जमीन इसी है और आवेदक की सूची के मुताबिक तथा जमाबंदी श्रेया के डीएल कब्जा में बताया गया।
अतः Land possession Certificate निर्गत हेतु अग्रेषित कार्यालय किया जाता है।

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.
Rajesh Kumar
Managing Director

आवेदक का हस्ताक्षर
चन्द्रशेखर

अंचल कार्यालय

कर्मचारी का प्रतिवेदन

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

(भू-~~स्वामित्व~~ प्रमाण-पत्र) पत्रांक 469 दि० 21-8-10

ग्राम ग्राम

थाना जिला

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकवा	
				एकड़	डि०
[illegible] - 23	129	17	961	0	24

अं० स०

आवेदित भूमि का पंजी II से मिलान किया। जमाबंदी नं० 461 नाम लक्ष्मी नारायण & अन्य के 2/4 हि० चौहान के नाम से रकबा .17 (सत्रह 0.24 के सामने दर्ज है।

जमीन खैरती है अन्य व्यक्ति/व्यक्ति से सूची 6 मुक्त तथा जमाबंदी रेकर्ड से डिग्री 20 का में बताया गया।

Jan. Land Possession Registration हेतु आवेदन अग्रेषित।

आवेदक का हस्ताक्षर

लक्ष्मी नारायण

कार्यालय का मुहर

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.
Rajesh Kumar
Managing Director

21/8/10
कर्मचारी का प्रतिवेदन

अंचल कार्यालय

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

(भू-~~स्वामित्व~~ प्रमाण-पत्र) पत्रांक 473 21-8-10

ग्राम

पिता-श्री जनक राय

जिला

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा एकड़	रकबा डि०
[illegible] -23	129	17	~~264~~ 264/2	~~2~~ 0	~~91~~ 24

आवेदित भूमि का पंजीयन डिस्पेन्स किया। जमाबंदी नं० 412 वनाम त्रिवेणी नन्दन राय सा० जनक राय का चौहद्दी में गत पर खाता नं० 17 रकबा 0.24 ध. भूमि के साथ उपरोक्त खाता खसरा दर्शाकर वे जमीन दखली से अं० आ० / आसि के सूची के पुस्त तथा जमाबंदी दखल के कॉलम नम्बर में बताया गया Govt. Land Possession के आधार निर्गत हेतु प्रतिवेदन अग्रेषित।

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.
Rajesh Kumar
Managing Director

आवेदक का हस्ताक्षर

डि० दिघा सम्पत्ति/24

कार्यालय का मुहर

कर्मचारी का प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

(भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र)

पत्रांक 468 दि॰ 21-8-10

मौजा मानी सिंहपिपरा थाना चाँदी

कल्याणपुर जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकवा एकड़	रकवा डि0
पिपरा-23	129	17	861	0	24

अन्य

आवेदित भूमि का पंजी II के किस्मात (विवरण) जमाबंदी॰ 463 बनाम मोती लाल सिंह पिता जनक राय सा॰ चांदी के नाम पर खाता॰ 17 खा 0-24 ए॰ के साल इसी जमीन से संबंधित अंचल/अवर की सूची के मुताबिक नया जमाबंदी रैयत से ईसल वसूला में बकाया राजस्व लगान एवं अन्य-0 रु 0 पूरा ही लगान बाकी नहीं। अनुपलब्ध है। अतः Land possession Certificate निर्गत हेतु आवेदन प्रतिवेदन (अग्रेषित)

आवेदक का हस्ताक्षर

मोती लाल सिंह

कार्यालय का मुहर

कर्मचारी का प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.

Managing Director

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

(भू ~~स्वामित्व~~ प्रमाण-पत्र) पत्रांक 472 दि० 21-8-10

ग्राम पिता-स्व० जनक राय ग्राम [illegible]

थाना [illegible] जिला [illegible]

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा एकड़	रकबा डि०
[illegible] - 23	129	17	861	0	24

आवेदित भूमि का पंजी II में किसान मिला। जा० न० 464 वनाम मौफील एस० जनक राय ग्रा० चांदन में गाम पो० खाता० 17 रकबा 0.24 ए० में लाख उर्फ [illegible] जमीन देखती है। जो आज/गतिक [illegible] की सूची पुत्र तथा जमीन पर केता का कब्जा बजना पताना गवाह लोग रसीद [illegible] अतः Local Possession certificate किए वेड प्रतिवेदन निदेशार्थ समर्पित।

आवेदक का हस्ताक्षर

मोतीलाल राय

कार्यालय का मुहर For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.

Authorised Signatory

कर्मचारी का प्रतिवेदन

लगान रसीद वर्ष 2006-07 प्रस्तुत किया

21/8/10

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

21/8/10

Sch. XIV—F. No. 180V. बि० गo प्रेस, गया।

रसीद मालगुजारी। / रद रैयती

ना- ...ल। नाम मौजा मय ... वा थाना नम्बर। नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सकुनत ... नम्बर।

206252

अराजी नकदी 2) अराजी भावली तफसील हिसाब लगान भावली।

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबत	सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	हाल
माल- (नकदी) गुजारी (भावली)	९·७१ ७·४३					९·७१ ०·४३
सेस ...	०·८६					०·८६
*सूद ...	०·८६					०·८६
मुतफरकात ...	०·४३					०·४३
मीजान	४·२६					४·२६

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत।	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	मोतालबा हाल।	फाजिल
माल- (नकदी) गुजारी (भावली)					९·७१ ०·४३	
सेस ...					०·८६	
*सूद ...					०·८६	
मुतफरकात ...					०·४३	
मीजान अदायकारी					४·२६	

(१) मीजान कुल (लफ्जों में)— चार (४४१) रुपये/रुपया

(२) नाम देहिन्दा—

(३) कुल बकाया—

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा।

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (बजाय ऐसे बकायों पर जिस पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.

Rajesh Kumar

Managing Director

Sch. XIV—F. No. 180V.

रसीद मालगुजारी।
नाम सर्कल। नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर।

V

बि० गो० प्रेस, मथा।
फरद मालकी/फरद रैयती।
नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सकूनत। नम्बर।

पुलगाँव	नेहलगो	पी-च-5	5

अराजी नगदी 23 अराजी भावली 9 तफसील हिसाब लगान भावली।

0.28	0	पनक	रागा

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबत 2002-2003	सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	हाल
माल (नगदी)	9.65				98.00	9.65
गुजारी (भावली)	0.20				8.00	0.20
सेस ...	9.50				2.00	9.50
*सूद ...	9.50				2.00	9.50
मुतफरकात ...	0.80				3.20	0.80
मीजान	3.65				36.20	3.65

तफसील अदायकारी। = 40.65

अदायकारी बाबत। 2002 2003	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	मौजाबला हाल।	फाजिल
माल (नकदी)				98.00	9.65	
गुजारी (भावली)				8.00	0.20	
सेस ...				2.00	9.50	x
*सूद ...				2.00	9.50	
मुतफरकात ...				3.20	0.80	
मीजान अदायकारी	0			36.20	3.65	= 40.65

(१) मीजान कुल (लफ्जों में) —चालीस [illegible] पच्चास पैसा मात्र
(२) माम देहिन्दा
(३) कुल बकाया

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा। 29.2.2002

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.
Rajesh Kumar
Managing Director

Sch. XIV—F. No. 180V. बि० ग० प्रेस, गया।

रसीद मालगुजारी। /फरद रैयती।

नाम सर्कल। नाम मौजा मय ...म रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी

थाना व थाना नम्बर। व सकूनत। नम्बर।

00673

अराजी नकदी अराजी भावली तफसील हिसाब लगान भावली।

0.28 0. जमाबन्दी

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया व हाल) वजूदा साल का।

मांग बाबत	सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	हाल
माल- (नकदी)	9.62				3.88	9.62
गुजारी (भावली)	0.83				0.22	0.83
सेस ...	0.22				9.62	0.22
*सूद ...	0.22				9.62	0.22
मुतफरकात ..	0.20				0.20	0.20
मीजान	4.26				2.24	4.26

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत।	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	मोतालबा हाल।	आजिल
माल- (नकदी)				3.88	9.62	4
गुजारी (भावली)				0.22	0.83	
सेस ..				9.62	0.22	
*सूद ..				9.62	0.22	
मुतफरकात ..				0.20	0.20	
मीजान अदायकारी				2.24	4.26	

(१) मीजान कुल (लफ्जों में)—

(२) नाम देहिन्दा—

(३) कुल बकाया—

दस्तखत बो तारीख अक्सा तहसील कुनिन्दा।

*खास महाल का कार्या मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बक्सायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद वहीं लिया जाता है।

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.

Managing Director

Sch. XIV—F. No. 180V.

बि० ग० प्रेस, गया।

रसीद मालगुजारी।

नाम सकंल। नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर।

नाम रयत मय वल्लियत जमाबन्दी वो सकूनत। नम्बर।

फुलवारी शरीफ	कमला	तिरहुत नदिया (1H)

जरीब नम्बर | रकबा मौजा | हदबस्त लगान भावली।

0.28.0 W.P.

मांग बाबत	सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	हाल
माल-गुजारी (बकदी)	1.02					1.02
माल-गुजारी (भावली)	0.43					0.43
सेस ...	0.24					0.24
*सूद ...	0.24					0.24
मतफरकात ...	0.80					0.80
मीजान	4.36					5.36

अदायकारी बाबत	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष	१ला वर्ष।	मोतालबा हाल।	फाजिल
माल-गुजारी (नकदी)					1.02	
माल-गुजारी (भावली)					0.43	
सेस ...					0.24	
*सूद ...					0.24	
मतफरकात ...					0.80	
मीजान अदायकारी					4.36	

(१) मीजान कुल (लफ्जों में)—

(२) वाम दहिन्दा—

(३) कुल बकाया—

दस्तखत वा तारीख अमला तहसील वसूलकुनिन्दा।

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों के जिस पर कि सूद जारी हो) सूद वहीं लिया जाता है।

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.

Managing Director

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

(भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र)

पत्रांक 468 दि० 21-9-10

मौजा/ग्राम [illegible] थाना [illegible]

कंकड़बाग जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकवा एकड़	रकवा डि०
कंकड़बाग-23	129	17	861	0	24

आवेदित भूमि का पंजी II के किस्सा विपक्ष जमाबंदी नं० 463 बनाम मोती लाल सिंह पिता जनक राय सा० चांदन के नाम पर खाता नं० 17 रकबा 0-24 ए० के साल उर्जा ली जमीन रैयती है० आवेदित/अवसिक की सूची में मुक्त तथा जमाबंदी रैयत से डिक्री वजा में बताया गया कि लगान वर्ष 2001-02 से बकाया है लेकिन फीड वही अनुपलब्ध है। अतः Land possession certificate निर्गत हेतु आदेशार्थ प्रतिवेदन (कार्यपत्र)

आवेदक का हस्ताक्षर

मोती लाल सिंह

कार्यालय का मुहर

कर्मचारी का प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.

Managing Director

Sch. XIV—F. No. 180V W.P बि० ग० प्रेस, गया।

रसीद मालगुजारी। फरद मालकी/फरद रैयती।

नाम सर्कल। नाम मौजा मय नाम [illegible] मय वल्दियत जमाबन्दी
थाना वो थाना नम्बर वो सकनत। नम्बर।

फुलवारी शरीफ	बेलवा २३	मो० फैलि राय

अराजी भावली ४/० तफसील हिसाब लगान भावली।

0.24 डी०	जैनकराय सा०-पोगर

(चौबीस) सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

अब वा० 2006-07	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	२रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	
माल- (नकदी) गुजारी (भावली)	1.75				26.25	1.75
सेस ...	0.45				6.75	0.45
*सूद ...	0.90				13.50	0.90
मुतफरकात ...	0.90				13.50	0.90
जात	0.35				5.25	0.35
	4.35				65.25	4.35

खाना 17

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत। 2006-07	बकाया				मोताबला हाल।	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	२रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।		
माल- (नकदी) गुजारी भावली)				26.25	1.75	
सेस				6.75	0.45	
*सूद				13.50	0.50	2
मुतफरकात				13.50	0.90	
मीजान अदायकारी				5.25	0.35	
				65.25	4.35	= 69.60

(१) मीजान कुल (लफ्जों में) उनासठ रुपया साठ पैसा मात्र।
(२) नाम देहिन्दा [illegible]
(३) कुल बकाया 2

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा।

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.

Managing Director

बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

July 26, 2021

जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान	29		पृष्ठ संख्या	24	जमाबन्दी संख्या		
जिला का नाम	Patna	अनुमंडल नाम	Patna Sadar	अंचल का नाम	Phulwari Sarif	हलका का नाम	नगर निगम
मौजा का नाम	दैनवाँ	होल्डिंग संख्या	17	तौजी संख्या		थाना नम्बर	23

CHANDRADIP RAY , LAXMI NARAYAN RAY , GIRJA NANDAN RAY , MOTI LAL RAY , MOFIL RAY , पिता/बाप/अबू -LATE JANAK RAY, जाति- अन्य

खाता नम्बर	प्लोट संख्या	रकबा	चौहद्दी				परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान	सेस
17	361	0 ए 14.834 डि 0 हे	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	नामान्तरण मुकदमा संख्या 2169/2021 - 2022	10	0
	कुल परिमान	0 ए 14.834 डि 0 हे							

तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल
2021-07-26 18:34:52	26072021063226750815	2021-2022	2021-2022	0	10	0	2.5	0	5	0	5	0	2

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल ख़ारिज का विवरण Mutation Cases Not Found !!

BACK

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे
प्लाट का नक्शा देखने के लिए प्लाट नंबर क्लिक करें

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.

Managing Director

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार

बिहार भूमि

सरकार

ऑनलाइन
Running Unique No.: 26072021063226750815
(Receipt No.)

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

लगान रसीद

जिला:- Patna	अंचल:- Phulwari Sarif
हल्का:- नगर निगम	मौजा :- ढेलवॉ
जमाबंदी सं0:- भाग वर्तमान:- 29 पृष्ठ सख्या:- 24	मौजा/थाना सं0:- 23
जमाबंदी रेयत का नाम:- CHANDRADIP RAY,LAXMI NARAYAN RAY,GIRJA NANDAN RAY,MOTI LAL RAY,MOFIL RAY अभिभावक का नाम:- LATE JANAK RAY,LATE JANAK RAY,LATE JANAK RAY,LATE JANAK RAY,LATE JANAK RAY	पता:- CHANGAR PS-KANKARBAGH PATNA,CHANGAR PS-KANKARBAGH PATNA,CHANGAR PS-KANKARBAGH PATNA,CHANGAR PS-KANKARBAGH PATNA,CHANGAR PS-KANKARBAGH PATNA

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
17	361	0 एकड़ 14.834 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2021-2022 से 2021-2022
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	14.50	0.00	14.50	0.00	20.00	2021-2022 से 2021-2022
कुल	24.50	0.00	24.50	0.00	30.00	2021-2022 से 2021-2022

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	10.00	10.00	2021-2022 से 2021-2022	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	14.50	20.00	2021-2022 से 2021-2022	
कुल	0.00	24.50	30.00	2021-2022 से 2021-2022	

कुल बकाया-30.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Thirty Rupees

तिथि- 26-07-2021

For BHREE RAVI HOMES PVT. LTD.

Managing Director

Dublicate Copy
26-Jul-2021

आदेश

तिथि
Jul 26 2021

आदेश पर की गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया । क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया । प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा ढेलवॉ थाना Phulwarisharif

खाता	प्लॉट	रकबा
17	361	0 एकड़,14.834 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
LATE JANAK RAY	पिता/बाप/अबू	RAMFAL RAY

है जिन्होनें निवंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 369609 दिनांक MMM d yyyyके द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
JANAK ROY	पिता/बाप/अबू	RAMPHUL ROY

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । किसी ने कोई आपत्ती नही की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हैं | अनुशंसा के अलोक में दाखिल ख़ारिज की स्वीकृति दी जाती हैं | साथ ही स्वत बाद का मामला प्रकाश में आते ही बाद स्वत: समाप्त समझी जाएगी | राजस्व कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है की शुद्धि पत्र प्राप्त करते हुए पंजी 2 में नियमानुसार संधारित करेंगे |

अत: वार्षिक लगान 10रुपये अलावे सेस के साथ नामान्तरण स्वीकृत किया

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है|। ह0 कर्मचारी पंजी II में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें ।

Digitally Signed by : NAND KISHOR PRASAD NIRALA
अंचलाधिकारी Phulwari Sarif

For SHREE Ravi HOMES PVT. LTD.
Rajesh Kumar
Managing Director

बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

June 23, 2021

जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान	3		पृष्ठ संख्या	2328		जमाबन्दी संख्या	463
जिला का नाम	Patna	अनुमंडल नाम	Patna Sadar	अंचल का नाम	Phulwari Sarif	हलका का नाम	नगर निगम
मौजा का नाम	दैलवाँ	होल्डिंग संख्या	N/A	तौजी संख्या	0	थाना नम्बर	23

MOTILAL SINGH , पिता/बाप/अबू -JANAK RAY, जाति- N/A

खाता नम्बर	प्लोट संख्या	रकबा	चौहद्दी				परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान	सेस
17	361	0 ए 13.33 डि 0 हे	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	n/a	15	0
	कुल परिमान	0 ए 13.33 डि 0 हे							

तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल
1990-04-16	583096	1990	1991	0	15	0	3.75	0	7.5	0	7.5	0	3

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल ख़ारिज का विवरण Mutation Cases Not Found !!

BACK

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे
प्लाट का नक्शा देखने के लिए प्लाट नंबर क्लिक करें

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.
Managing Director

बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

June 23, 2021

जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान	3		पृष्ठ संख्या	2329		जमाबन्दी संख्या	464
जिला का नाम	Patna	अनुमंडल नाम	Patna Sadar	अंचल का नाम	Phulwari Sarif	हलका का नाम	नगर निगम
मौजा का नाम	दैलवाँ	होल्डिंग संख्या	N/A	तौजी संख्या	0	थाना नम्बर	23

MOFIL R AY , पिता/बाप/अबू -JANAK RAY, जाति- N/A

खाता नम्बर	प्लोट संख्या	रकबा	चौहद्दी				परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान	सेस
17	361	0 ए 13.33 डि 0 हे	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	n/a	15	0
	कुल परिमान	0 ए 13.33 डि 0 हे							

तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल
2006-07-20	885948	2006	2007	0	15	0	3.75	0	7.5	0	7.5	0	3

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल खारिज का विवरण Mutation Cases Not Found !!

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे
प्लॉट का नक्शा देखने के लिए प्लाट नंबर क्लिक करे।

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.
Managing Director

बिहार सरकार

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

June 23, 2021

जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान	3		पृष्ठ संख्या	2326		जमाबन्दी संख्या	461
जिला का नाम	Patna	अनुमंडल नाम	Patna Sadar	अंचल का नाम	Phulwari Sarif	हलका का नाम	नगर निगम
मौजा का नाम	दैलवॉ	होल्डिंग संख्या	N/A	तौजी संख्या	0	थाना नम्बर	23

LAXMI NARAYAN RAY , पिता/बाप/अबू -JANAK RAY.
जाति- N/A

खाता नम्बर	प्लोट संख्या	रकबा	चौहद्दी				परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान	सेस
17	381	0 ए 13.33 डि 0 हे	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	n/a	15	0
	कुल परिमान	0 ए 13.33 डि 0 हे							

तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल
1990-04-16	583094	1990	1991	0	15	0	3.75	0	7.5	0	7.5	0	3

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल खारिज का विवरण Mutation Cases Not Found !!

BACK

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे
प्लाट का नक्शा देखने के लिए प्लाट नंबर क्लिक करें

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.
Managing Director

बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

June 23, 2021

जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान	3		पृष्ठ संख्या	2327		जमाबन्दी संख्या	462
जिला का नाम	Patna	अनुमंडल नाम	Patna Sadar	अंचल का नाम	Phulwari Sarif	हलका का नाम	नगर निगम
मौजा का नाम	ढेलवॉ	होल्डिंग संख्या	N/A	तौजी संख्या	0	थाना नम्बर	23

GIRJANANDAN RAY , पिता/बाप/अब्बू -JANAK RAY,
जाति- N/A

खाता नम्बर	प्लोट संख्या	रकबा	चौहदी				परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान	सेस
17	361	0 ए 13.75 डि 0 हे	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	n/a	15	0
	कुल परिमान	0 ए 13.75 डि 0 हे							

तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल
1990-04-16	583095	1990	1991	0	15	0	3.75	0	7.5	0	7.5	0	3

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल खारिज का विवरण Mutation Cases Not Found !!

BACK

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय मे साक्ष्य के रूप मे नही किया जा सकता है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे
प्लाट का नक्शा देखने के लिए प्लाट नंबर क्लिक करें।

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.
Rajesh Kumar
Managing Director

बिहार सरकार

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

June 23, 2021

जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान	3		पृष्ठ संख्या	2325		जमाबन्दी संख्या	460
जिला का नाम	Patna	अनुमंडल नाम	Patna Sadar	अंचल का नाम	Phulwari Sarif	हलका का नाम	नगर निगम
मौजा का नाम	देलवॉ	होल्डिंग संख्या	N/A	तौजी संख्या	0	थाना नम्बर	23

CHANDRADIP RAY , पिता/बाप/अबू -JANAK RAY,
जाति- N/A

खाता नम्बर	प्लोट संख्या	रकबा	चौहदी				परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान	सेस
17	361	0 ए 13.333 डि 0 है	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	n/a	15	0
	कुल परिमान	0 ए 13.33 डि 0 है							

तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल
1990-04-14	583093	1990	1991	0	15	0	3.75	0	7.5	0	7.5	0	3

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल ख़ारिज का विवरण

Mutation Cases Not Found !!

BACK

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे
प्लाट का नक्शा देखने के लिए प्लाट नंबर क्लिक करें

For SHREE RAVI HOMES PVT. LTD.

Managing Director

Serial No. - 25756

Book No.- 1 / Deed No. - 21896

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on this Monday, the 23rd of August 2010 by Parvatri Devi.

A stamp duty of Rs. 365300/- and other fees of Rs. 854/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names,photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 21896 in Book No. 1 , Volume No. 353 on pages from 106 to 125 and has been preserved in total 20 pages in C.D. No. 55 / Year 2010 .

SCANNED

Signature with date
(Ajay Krishna Mishra)
Registering Officer , Patna

Date :23/08/2010 Token No: : 26221 / 2010

Scanned by Sanjay Kumar

विकास एकरारनामा (डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट)

आज दिनांक 23.08.2010 को यह विकास एकरारनामा (डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट) निम्नलिखित व्यक्तियों के बीच किया गया ।

Serial No : 25756 Deed No : 21896
Token No : 26221 of 2010

Type & Status of Party	Name of Party	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
In Favour of	*Rajesh Kumar (Dir)* Rajesh Kumar 23/08/2010 Signature of Party						
In Favour of	*Ravindra Kumar (Dir)* 23/08/2010 Signature of Party						
Presented by Self	*Parvatri Devi* 23/8/10 Signature of Party						
Executed by	*Parvatri Devi*						
Executed by	*Laxmi Narayan Ray* 23/8/2010 Signature of Party						
Executed by	*Mukesh Ray* 23.8.10 Signature of Party						
Executed by	*Chandradeep Ray* 23/08/10 Signature of Party						
Executed by	*Mofil Ray* 23/08/10 Signature of Party						

(2)

1. श्रीमती पार्वत्री देवी जौजे स्व0 जनक राय
2. श्री चन्द्रदीप राय वल्द स्व0 जनक राय
3. श्री लक्ष्मी नारायण राय वल्द स्व0 जनक राय
4. श्री गिरिजानन्दन राय वल्द स्व0 जनक राय, वहैसियत खुद वो वली वो पिता वो सरंक्षक श्री गुडडु कुमार अल्पव्यस्क पुत्र अपने ।
5. श्री मोफिल राय वल्द स्व0 जनक राय, वहैसियत खुद वो वली वो पिता वो सरंक्षक श्री शहील कुमार अल्पव्यस्क पुत्र अपने ।
6. श्री गोपाल राय वल्द श्री चन्द्रदीप राय
7. श्री लक्षमण प्रसाद वल्द श्री चन्द्रदीप राय
8. श्री संजय राय वल्द श्री चन्द्रदीप राय
9. श्री पवन राय वल्द श्री चन्द्रदीप राय
10. श्री संतोष राय वल्द श्री चन्द्रदीप राय
11. श्री उदय राय वल्द श्री लक्ष्मी नारायण राय
12. श्री मुकेश राय वल्द श्री लक्ष्मी नारायण राय
13. श्री बब्लु राय वल्द वल्द श्री गिरिजानन्दन राय
14. श्री राहुल राय वल्द श्री गिरिजानन्दन राय
15. श्री सुधीर राय वल्द श्री मोफिल राय
16. श्री विणु राय वल्द श्री मोफिल राय
17. श्री पिन्टु कुमार वल्द श्री गोपाल राय

सभी निवासी ग्राम – चांगर, थाना– कंकड़बाग, जिला– पटना।

.....प्रथम पक्ष

Executed by *Laxman Prasad*

लक्ष्मण प्रसाद

23-8-10

Signature of Party



Executed by *Pawan Ray*

Pawan Ray

23/8/10

Signature of Party



Executed by *Uday Ray*

उदय राय

23/8/10

Signature of Party



Executed by *Pintu Kumar*

Pintu Kumar

23/8/10

Signature of Party



Executed by *Vinu Ray*

विनु राय

23/8/10

Signature of Party



Executed by *Sudhir Ray*

Sudhir Rai

23/08/10

Signature of Party



Executed by *Rahul Ray*

Rahul Ray

23/8/10

Signature of Party



Executed by *Bablu Ray*

बबलु राय

23/8/10

Signature of Party



Executed by *Santosh Ray*

संतोष कुमार

23/8/10

Signature of Party



(3)

बनाम्

मेसर्स श्री रवि होम्स् प्रा0.लि0. जिसका निबंधन सख्या – U45200BR007PTC012978, कार्यालय–लालजी टोला, थाना– गॉधी मैदान, जिला– पटना के निदेशक 1. श्री राजेश कुमार 2. श्री रविन्द्र कुमार, वल्दान श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी मोहल्ला– लालजी टोला, पो0– जी0पी0ओ0, थाना– गॉधी मैदान, जिला– पटना भारतीय नागरिक।

.....द्वितीय पक्ष

यह कि तमामी मवाजी खाता नं0– 17, सर्वे खेसरा नं0– 361, रकवा –1 एकड 21 1/2 डिसमिल, तौजी नं0– 129, थाना नं0– 23, वार्ड नं0– 21, जोन– 3, मौजा– ढेलवां, सर्वे थाना– फुलवारी, हाल थाना– राम कृष्णा नगर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना अन्दर पटना नगर निगम तथा पटना विकास प्राधिकार क्षेत्र के दायरे के अन्दर है जिसका पूर्ण विवरण इस एकरारनामा के नीचे परिशिष्ट–1 में दर्ज है।

यह कि प्रथम पक्ष ने अपने उपरोक्त जमीन को जिसका पूर्ण विवरण इस एकरारनामा के नीचे दर्ज है, उसको द्वितीय पक्ष को बहुमंजिलीय मकान बनाकर विकसित करने के लिए देना स्वीकार किया है वो द्वितीय पक्ष भी उपरोक्त जमीन पर बहुमंजिली मकान बनाकर विकसित करने के लिए लेना स्वीकार किए हैं ।

यह कि प्रथम पक्ष ने इस लिखित एकरारनामा लिखवाकर द्वितीय पक्ष को बहुमंजिलीय मकान बनाने के लिए उपरोक्त जायदाद परिशिष्ट संख्या–1 पर पूर्ण रूप से इसलिए दखल कब्जा दे दिया

Executed by *Sanjay Ray*

संजय राय
23-8-10



Signature of Party

Executed by *Gopal Ray*

गोपाल राय
23-8-2010



Signature of Party

Executed by *Girijanandan Ray*

गिरिजानन्दन राय
23/8/10



Signature of Party

Executed by *Guddu Kumar (Minor)*

Signature of Party

Executed by *Shahil Kumar (Minor)*

Signature of Party

Rama Kant Kumar

Identifier

रमाकान्त कुमार
23/8/10



Signature of Party

Executed by

Sanjay Ray

संजय राय

23-8-10



Signature of Party

Executed by

Gopal Ray

गोपाल राय

23-8-2010



Signature of Party

Executed by

Girijanandan Ray

गिरिजानन्दन राय

23/8/10



Signature of Party

Executed by

Guddu Kumar (Minor)

Signature of Party

Executed by

Shahil Kumar (Minor)

Signature of Party

Identifier

Rama Kant Kumar

रामकान्त कुमार

23/8/10



Signature of Party



(4)

की वो उसपर बहुमंजलीय मकान, फलैट्स वो कार पार्किंग वो दुकान बनायेगें जो निम्नलिखित शर्तो पर दिया गया हैः–

1– यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को विश्वास दिलाया है कि उपरोक्त जमीन जिसका विवरण इस वसीका के परिशिष्ट संख्या–1 में दर्ज है, वो हर प्रकार के नुक्स हकियत वो ऋण भार से मुक्त है, वो अगर बहुमंजलीय मकान बनाने के समय या बनाने के बाद किसी प्रकार का नुक्स हकियत या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी क्षतिपूर्ति का पूर्ण भार प्रथम पक्ष पर रहेगा।

2– यह कि इस एकरारनामा के निष्पादन हो जाने के बाद तुरंत उस जमीन को द्वितीय पक्ष द्वारा अमीन से मापी करवा कर बहुमंजलीय मकान बनाने की कार्रवाई शुरू कर देंगे ।

3– यह कि द्वितीय पक्ष (डेभलपर) उस जमीन पर किसी तरह का बहुमंजिला मकान बनाने का काम नियमानुकूल ही करेंगे तथा जो भी बहुमंजिला मकान बनायेंगे उसे पहले सक्षम पदाधिकारी विभाग के द्वारा जरूरत के मुताविक आदेश प्राप्त करेंगे । इस कार्य के लिए डेभलपर पटना नगर निगम/पी0आर0डी0ए0 से नक्शा प्रपोज्ड प्लान नियम कानून के तहत पास करायेंगे जिसे (प्रपोज्ड प्लान) भू–खण्ड मालिक को दिखाने के बाद उनकी सहमति से ही दाखिल करेंगे। तत्पश्चात् ही डेवलपर उस भूमि पर बहुमंजिला मकान का नक्शा पास तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे।

4– यह कि डेभलपर यानी द्वितीय पक्ष इस वसीका में दिये गये परिशिष्ट–1 में वर्णित जमीन पर इस शर्त पर यह एकरारनामा कर रहे हैं कि विकसित किया हुआ बहुमंजिला भवन का कुल निर्माण रकवा (बिल्ड–अप एरिया) का 45% (पैतालीस प्रतिशत) बिल्ड–अप एरिया

भू–खण्ड मालिक यानी प्रथम पक्ष को डेभलपर यानी द्वितीय पक्ष बिना किसी जोर दबाव के दे देंगे, जिस पर भू–खण्ड मालिक यानी प्रथम पक्ष का पूर्ण अधिकार एवं स्वत्व एवं दखल–कब्जा हो जायेगा और वे जिस तरह चाहें उस तरह अपना उपयोग, उपभोग करेंगे एवं किसी दूसरे से भी हस्तानान्तरण करने का पूर्ण अधिकार अपने हिस्से के भाग को प्रथम पक्ष को ही रहेगा।

5– यह कि प्रथम पक्ष वो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने–अपने हिस्से को किसी को विक्रय कर सकते हैं या किराया पर लगा सकते हैं या उस पर व्यवसायिक संस्था से कर्ज ले सकते हैं या खुद निवास कर सकते हैं

6– यह कि प्रथम पक्ष वो द्वितीय पक्ष को बने हुए बहुमंजिलीय मकान में अपना–अपना हिस्सा किधर मिलेगा इसको दोनों पक्ष आपस में बैठकर सभी तल्ले पर अपने हिस्से के अनुसार पटना नगर निगम/पी0आर0डी0ए0 नक्शा पास होने के बाद तय कर एकरारनामा (Allotment Agreement) बना लेंगे। बाकी अनिर्मित हिस्से जैसे सड़क उसके अगल–बगल के जमीन, खुले हिस्से, सीढ़ी पैसेज, बिजली, पानी लगाने वाली जगह वगैरह आदि पर प्रथम पक्ष वो द्वितीय पक्ष को अपने–अपने हिस्सा मुताबिक इजमालन दखल–कब्जा में रहेंगे । वो प्रथम पक्ष वो उनके द्वारा जिनको फलैट का हस्तान्तरण करेंगे, उनको वो द्वितीय पक्ष या उसके हस्तान्तरण किये गये फलैटों के व्यक्तियों को उपरोक्त संयुक्त स्थान संयुक्त रूप से उपयोग करने का अधिकार रहेगा।

7– यह कि इस लेख्य के परिशिष्ट–1 (एक) में वर्णित भूमि पर विकास कर बहुमंजिला मकान निर्माण करने का अधिकार सिर्फ द्वितीय पक्ष यानी डेभलपर का ही होगा । भवन निर्माण करने के

संबंध में नक्शा पास कराने का काम या किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्राप्त करने की पूरी जबाबदेही सिर्फ द्वितीय पक्ष का ही रहेगा । उन सब चीजों में जो भी खर्च वहन करना पड़े वह खर्च द्वितीय पक्ष ही करेंगे।

8– यह कि भवन निर्माण में किसी तरह का जो भी खर्च या व्यय होगा उस खर्च से डेभलपर द्वारा जो भी भवन निर्माण के संबंध में खर्च होगा उसका हिसाब–किताब, लेन–देन से किसी भी तरह का कोई मतलब या सम्बन्ध प्रथम पक्ष को या उनके वारिसान या उनके उतराधिकारियों को नहीं रहेगा।

9– यह कि बहुमंजलीय मकान पूर्ण रूप से विकसित करने का निर्माण अवधि पटना नगर निगम से नक्शा स्वीकृत होने के बाद 4 (चार) साल के अलावा 6 (छः) महीना के ग्रेस पीरियड के साथ रहेगा। द्वितीय पक्ष खण्ड–खण्ड कर या जिस तरह से सुविधा हो उस तरह उक्त अवधि तक निश्चित रूप से निर्माण का कार्य पूरा कर प्रथम पक्ष को दिये गये 45% (पैतालीस प्रतिशत) हिस्से के अनुसार पूरा कर लेंगे तथा उक्त अवधि के अन्दर ही पूर्ण रूप से निर्मित फलैट/कार पार्किंग/दुकान पर दखल कब्जा प्रथम पक्ष के हिस्से के अनुसार द्वितीय पक्ष करा देंगे। भूखण्ड मालिक के हिस्से में दिया गया 45% (पैतालीस प्रतिशत) फलैट/कार पार्किंग/दुकान आदि समेत दिया जायेगा जो उक्त भूमि का मुआवजा होगा। भविष्य में भू–खण्ड मालिक एवं उनके वारिसान तथा उत्तराधिकारी भी उक्त भू–खण्ड पर दावा नहीं करेंगे।

10– यह कि किसी अनहोनी घटना या प्रकृति की कोप लीला सरकारी संस्था से रूकावट इत्यादि के वजह से भवन बनाने में जो

समय बर्बाद होगा, जिससे भवन निर्माण में विलम्ब होगा उस अवधि को निर्माण की अवधि में नहीं लिया जाएगा।

11– यह कि भवन निर्माण में प्रथम पक्ष के सदस्यों एवं उनके वारिसानों के द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं रहेगा । लेकिन भवन निर्माण सामग्री को जॉच करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। अगर प्रथम पक्ष के सदस्यों एवं उनके वारिसानों के द्वारा बहुमंजलीय कार्य रोक दिया जाता है तो वह अवधि निर्माण अवधि में नहीं लिया जायेगा।

12– यह कि डेभलपर को यानी द्वितीय पक्ष को अपने सुविधा के अनुसार एक या एक से अधिक ब्लॉक (खंड) में नियमानुसार भू–खण्ड पर भवन का निर्माण करेंगे । इस पर प्रथम पक्ष को किसी तरह का कोई एतराज या आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

13– यह कि समय अनुसार या नियम कानून के अनुसार निर्माणाधीन भवन में किसी तरह का फेर–बदल करना पड़े तो भवन निर्माता यानी डेभलपर प्रथम पक्ष से विचार कर उस कार्य को करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे।

14– यह कि डेभलपर स्वयं या किसी अन्य भवन निर्माता या ठीकेदार को रख कर भवन–निर्माण करायेंगे, निर्माण के समय अभियंता या अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति या प्रोन्नति या हटाने का पूर्ण अधिकार सिर्फ द्वितीय पक्ष को ही रहेगा । उसी प्रकार, द्वितीय पक्ष सुविधा अनुसार अभियंता, आर्किटेक्ट, सर्वेयर बहाल कर सकते हैं । जिसका संपूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष को वहन करना है

(8)

जो दायित्व है।

15— यह कि दोनो पक्षकार सहमत है और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा— 5(1) एवं 5(2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों का पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक 55% एवं भू—स्वामी 45% अपने अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने—अपने हिस्से को पृथक से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकूल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। जिसके लिए विकासक/संप्रवर्तक को भी अलग से किसी भी पावर ऑफ अटर्नी या किसी एग्रीमेन्ट की जरूरत नहीं होगी । विकासक अपने हिस्से का 55% (पचपन प्रतिशत) क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एरारनामा करेंगे । जिसमें जमीन मालिक के 45% (पैतालीस प्रतिशत) हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा। इसके बावजूद भी अगर आवश्यकता होगी तो जमीन मालिक एवं अनिबंधित/निबंधित सामान्य पावर ऑफ अटर्नी देंगे और डेवेलपर अथवा/और उनके नामित व्यक्ति अथवा उतराधिकारियों के पक्ष में पंजीकृत कराएंगे जिससे डेवेलपर को कार्य करने में कोई वाधा या विरोध न हो और उसके द्वारा डेवेलपर को उक्त भूमि पर शांति पूर्वक काम करने के लिए अधिकार देंगे जो अन्नयन के लिए उसकी योजना बनाने के लिए तथा उक्त इमारत के निर्माण तथा फलैटों की बिक्री रजिस्ट्री इत्यादि के लिए विकासक एवं जमीन मालिक अपने—अपने हिस्से को अलग—अलग करेंगे।

16— यह कि इस लेख्य के परिशिष्ट संख्या—1 (एक) में वर्णित भूमि पर भवन निर्माण करने के संबंध में पटना नगर निगम या किसी अन्य

विभाग में आवेदन देने की जरूरत पड़े या हस्ताक्षर करने की जरूरत पड़े या मुकदमा करने या अधिवक्ता बहाल करने या वकालतनामा लिखने या शपथ–पत्र या अन्य किसी चीज की जरूरत पड़े तो यह कार्य करने के लिए द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगें। परन्तु, इन सबों की सूचना भू–खण्ड मालिक या उनके प्रतिनिधि को कर देंगे।

17– यह कि द्वितीय पक्ष भू–खण्ड मालिक के 45% (पैतालीस प्रतिशत) हिस्से को छोड़कर अपने हिस्से के खरीददार ट्रांसफरी के हित में अपने किसी भी फलैट/ दुकान/ ब्लॉक सिक्यूरिटी के रूप में रहेगा । इस कर्ज की पूरी भरपाई खरीददार स्वयं करेंगे। दूसरे शब्दों में इस कर्ज से संबंधित देनदारी प्रथम पक्ष की नहीं होगी। इस कार्य में प्रथम पक्ष किसी तरह की कोई आपत्ति प्रकट नहीं करेंगे।

18– यह कि इस एग्रीमेन्ट के तहत जो भी अधिकार भू–खण्ड मालिक को प्राप्त है, वह पूरा अधिकार उनके उत्तराधिकारी/वारिसान (Nominee) का भी रहेगा। भवन में सार्वजनिक स्थान, सीढ़ी, सार्वजनिक पार्किंग का जगह कैम्पस, लिफ्ट, पोर्टिकों इत्यादि में जो अधिकार डेभलपर या उनके वारिसान का होगा वही अधिकार भू–खण्ड मालिक या उनके उत्तराधिकारी/वारिसान का रहेगा।

19– यह कि प्रथम पक्ष या उनके उत्तराधिकारी/वारिसान तथा द्वितीय पक्ष या उनके वारिसान में भविष्य में किसी प्रकार का विवाद खड़ा हो जाय, वैसी स्थिति में आपस में मिलजुल कर समझौता कर लेंगे फिर भी विवाद समाप्त नहीं होता तो वैसी हालत में पटना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में विवाद लाने का अधिकार रहेगा।

20– यह कि यह डेभलपर एग्रीमेन्ट किसी भी समय या किसी भी आधार पर डेभलपर एवं भू–खण्ड मालिक का साझेदारी नहीं समझा

जायेगा।

21– यह कि इस भूखण्ड पर वने भवन में सबसे उपरी छत प्रथम पक्ष एवं दूसरे पक्ष अपने निर्धारित हिस्से के मुताबिक विभाजित कर लेंगे और अपने हिस्से में मिले भाग को चाहे रखें या किसी दूसरे के हाथ बेच दे और इस तरह एक के भाग से दूसरे को कोई संबंध विभाजन के बाद नही रह जायेगा । विकासक इस तरह से उस छत का विभाजन करेंगे की दोनों के मिले हुए भाग में जाने का स्वतंत्र रास्ता होगा।

22– यह कि भविष्य में उपरी छत के उपर भी निर्माण की वैधानिक जरूरत पड़े तो उपर निर्मित भाग में भी दोनों पक्षों की हिस्सेदारी पूर्ववत् रहेगी।

23– यह कि बहुमंजलीय भवन का नाम "**जनक स्टेट**" होगा।

24– यह कि यदि डेभलपर निर्माण में अनुमोदित नक्शे का विचलन करें तो उसकी जिम्मेवारी डेभलपर की होगी और यदि प्रथम पक्ष उस विचलित भाग में अपना हिस्सा लेना चाहेंगे तो उसको नियमानुकूल करने में जो राशि खर्च होगा उसका आनुपातिक राशि खर्च करेंगे और हिस्सा भी उसी अनुसार रहेगा।

25– यह कि इस एग्रीमेन्ट के निष्पादित होने के दिन से ही भूखण्ड पर डेवलपर यानि द्वितीय पक्ष का बहुमंजिलीय मकान बनाने के लिए अधिकार हो जायेगा और डेवलपर उस जमीन पर विकास या निर्माण हेतु अपने खर्च पर कार्य प्रारम्भ कर देगा । इसमें भू–खण्ड मालिक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

26– यह कि डेवलपर इस लेख्य के परिशिष्ट संख्या–1 में वर्णित

भू–खण्ड पर भवन निर्माण करने में डेवलपर को कोई पार्टनर या साझेदार की आवश्यकता हो या कोई सोसायटी या कोई कॉरपोरेट बॉडी शामिल करने की जरूरत हो, तो वह स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं । इसमें किसी प्रकार की आपत्ति, भूखण्ड मालिक को नहीं होगी।

27– यह कि समय–सीमा के अन्दर प्रथम पक्ष के हिस्से को डेवलपर द्वारा पूरा नहीं करने पर डेवलपर के आर्किटेक्ट के मुताबिक डेवलपर भू–खण्ड मालिक को प्रति स्कावयर फीट रू0 1/– (एक रूपये मात्र) के हिसाब से प्रत्येक माह किराया देना होगा। यह किराया प्रथम पक्ष के 45% (पैतालीस प्रतिशत) के बचे हुए हिस्से पर ही लगेगा जिसका दखल कब्जा प्रथम पक्ष को नहीं दिया गया है।

28– यह कि भूखण्ड स्वामी एवं विकासकर्त्ता बिहार अपार्टमेन्ट ऑनरशीप एक्ट 2006 तथा बिहार अपार्टमेन्ट ऑनरशीप रूल 2006 के अन्तर्गत निर्माण कार्य एवं सारी सुख–सुविधा सहित निर्माण करेंगे तथा अपने–अपने हक वो हिस्सा के शेयर को इस्तेमाल में लावेंगे तथा अपने–अपने खरीदार को बिक्री करेंगे एवं बैयवेयाना, बंधक, लीज, बिक्रय–पत्र तथा किसी भी प्रकार के दस्तावेज के निबंधन में पावर ऑफ एटॉर्नी की आवश्यकता इस कानून के तहत नही है और न भविष्य में होगा।

29– यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के 45% (पैतालीस प्रतिशत) के हिस्से में निम्नलिखित प्रकार की सामग्री लगाकर देंगे।

(क) जमीन सतह (फ्लोरिंग)– फलैट की सभी सतह पर मार्बल फलोरिंग होगा।

(ख) खिड़की–ग्लास के साथ स्टील खिड़की (लोहे का खिड़की) पेन्ट किया हुआ रहेगा।

(ग) दरवाजा–सखुआ के लकड़ी का चौखट के साथ 30 एम0एम0 का मोटा प्लस वाटरप्रूफ प्लाईबोर्ड का दरवाजा पेन्ट किया हुआ रहेगा।

(घ) रसोई–रसोई का मेन स्लैब 20 इंच चौड़ा जिसका उँचाई जमीन से 30 इंच रहेगा, इस पर ग्रेनाइट का स्लैब लगा हुआ रहेगा, स्लैब के उपर दीवाल पे 30 इंच उँचा ग्लेज टाईल्स लगा रहेगा ।

(ड़) स्नानघर (बाथरूम)–बाथरूम के दीवाल पे सात फीट उँचा ग्लेज टाईल्स सभी तरफ लगा हुआ रहेगा । सभी फलैट में दो बास बेसिन तथा दोनों बाथरूम में हॉट कोल्ड पानी का पाईप लगा हुआ रहेगा ।

(च) दीवाल व्हाईट वाश– पी.ओ.पी से किया हुआ दीवाल रहेगा।

(छ) टेलीफोन तथा केबल– टेलीफोन तथा केबल का ड्राइंग हॉल में प्वाइंट दिया हुआ रहेगा ।

(ज) बिजली–नक्शे के हिसाब से सभी जगह बिजली का प्वाइंट दिया हुआ रहेगा। सभी समान



आई0एस0आई0 मार्क का होगा।

(झ) जनरेटर एवं लिफ्ट लोड कैपिसीटी के अनुसार दिया जायगा।

परिशिष्ट संख्या–1 (एक)

यह कि तमामी मवाजी खाता नं0– 17, सर्वे खेसरा नं0– 361, रकवा –1 एकड 21 1/2 डिसमिल, तौजी नं0– 129, थाना नं0– 23, वार्ड नं0– 21, हाल वार्ड नं0– 32, जोन– 3, मौजा– ढेलवां, सर्वे थाना– फुलवारी, हाल थाना– राम कृष्णा नगर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना अन्दर पटना नगर निगम तथा पटना विकास प्राधिकार क्षेत्र के दायरे के अन्दर है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर – रेाड

दक्षिण – श्रीमती कुन्ती देवी जौजे श्री लक्षमण प्रसाद

पुरब– रेाड

पश्चिम– नीज

मौजा– ढेलवां, रकवा–1 एकड 21 1/2 डिसमिल जिसका थाना कोड नं0– 315, जोन–3 के आवासीय मेन रोड का दाम मो0 1, 50, 282/– रूपये प्रति डिसमिल है, जिसका कुल कीमत मो0 1, 82, 59, 263/– रूपये होगा, जिस पर स्टाम्प ड्यूटी 2 % के हिसाब से मो0 3, 65, 200/– +100/– वो अन्य फीस बैंक चालान के माध्यम से जमा है।

(14)

यह कि इस लेख्य में लिखी सारी बातों को लेख्य के समक्ष पक्षगण/पक्षकार पढ़कर एवं पढवाकर अच्छी तरह समझ–बुझ लिया तथा सही पाकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष अपना हस्ताक्षर कर दिया।

1. [illegible]
23/08/10

2. [illegible]
23/08/10

3. [illegible]
23/08/10

4. [illegible]
23/08/10

5. [illegible]
23/08/10

6. [illegible]
23-8-2010

7. [illegible]
23-8-10

8. [illegible]
23-8-2010

9. Pawan Roy
23/8/10

10. [illegible]
23/08/10

11. [illegible]
23/8/10

12. भुवो2, राय
23.8.10

13. बबलु राय
२३/८/१०

14. Rahul Kumar Ray
23/8/10

15. [signature]
23/08/10

16. बिन्नु राय
23/8/10

17. Bitty/Dinu
23/8/10
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

(भू–खण्ड मालिक)

1. Rajesh Kumar
23/8/2010

2. [signature] 23/8/10
मेसर्स श्री रवि होम्स प्रा0.लि0.

पैन न0 AAKCF8278F

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

(डेभलपर)

(16)

1. Ramakant S/o Shyam Kishor
Ad - Chhoti Pahari P.o Agamkuan
PIST - Patna 23/8/10
2. Ajit Kumar S/o Late Rishideo Prashad
Ad - Ashok Nagar Road No-8B Kankarbagh Patna 20
हस्ताक्षर गवाहान 23/8/10

टंकण
सुधीर कुमार

Drafted by
23.08.10
Sushil Kumar Sinha
Advocate

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stam Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 05. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act **Rs. 365300** *Amt. paid by N.J. Stamp Paper -* **Rs. (**

Addl. Stamp duty paid under Municipal Act **Rs.** *Amt. paid through Bank Challan -* **Rs. 36615**

Registration Fee **LLR + Process Fee** **Service Charg**

FEE PAID										
A1	0	C	0	H1b	0	Ka1	0	Lii	0	LLR 0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0	Proc. Fee 0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0	Total- 0
A10	0	E	250	J1	0	K2	0	Na	54	
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0			
								TOTAL-	304	

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. 854

Date : 23/08/2010

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Monday, 23rd August 2010 by Parvatri Devi W/O-Late Janak Ray by profession Others. Status - Executant

२-।८) - ५।८ ॥ ।८।
८।० - २५।५।८।५ ॥ ५।।
23/8/10

Signature / L.T.I. of Presentant ***Date : 23/08/2010***

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the person (identified by Rama Kant Kumar age Sex M son/daughter of S/O-Shyam Kishore Saw resident of Chhoti Pahari Gulzarbagh,Patna.) whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 23/08/2010

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book No. 1 Volume No. 353 on page no. 106 - 125 for the year 2010 and stored in CD Volume No.CD-55 year 2010. The document no. is printed on the front Page of the document.

Date : 23/08/2010

Registering Officer
Patna

Serial No. - 31070

Book No.- 1 / Deed No. - 26266

164

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

T.T.-31615 dumped

बिहार BIHAR 6399 23 10 100 E 821273

मैसर्स जी. रवि. होम्स प्रा लि के कार्यालय सेक्टर गांधी मैदान पटना

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on this Wednesday, the 27th of October 2010 by Moti Lal Singh.

A stamp duty of Rs. 72240/- and other fees of Rs. 679/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names,photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 26266 in Book No. 1 , Volume No. 425 on pages from 78 to 92 and has been preserved in total 15 pages in C.D. No. 66 / Year 2010 .

Scanned by Akhilesh Jha

SCANNED

Date : 27/10/2010

Token No. : 31615 / 2010

Signature with date

(Ajay Krishna Mishra)

Registering Officer, Patna

विकास एकरारनामा (डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट)

आज दिनांक 27.10.2010 को यह विकास एकरारनामा (डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट) निम्नलिखित व्यक्तियों के बीच किया गया ।

Serial No : 31070 Deed No : 26266
Token No : 31615 of 2010

Type & Status of Party	Name of Party	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
In Favour of	Ravindra Kumar(Dir)						
	Signature of Party						
In Favour of	Rajesh Kumar(Dir)						
	Signature of Party						
Presented by Self	Moti Lal Singh						
	Signature of Party						
Executed by	Alok Kumar(Self & Gur)						
	Signature of Party						
Executed by	Moti Lal Singh						
	Signature of Party						
Executed by	Ravi Kumar(Min)						
	Signature of Party						
Identifier	Pankaj Kumar						
	Signature of Party						

Harendra Kr.

(2)

1. श्री मोती लाल सिंह वल्द स्व0 जनक राय
2. श्री आलोक कुमार वल्द श्री मोती लाल सिंह

वहैसियत खुद वो वली वो पिता वो सरंक्षक श्री रवि कुमार अल्प व्यस्क पुत्र अपने ।

सभी निवासी ग्राम – चांगर, थाना– कंकड़बाग, जिला– पटना, भारतीय नागरिक।

.....प्रथम पक्ष

बनाम्

मेसर्स श्री रवि होम्स प्रा0.लि0. जिसका निबंधन सख्या – U45200BR007PTC012978, कार्यालय–लालजी टोला, थाना– गॉधी मैदान, जिला– पटना के निदेशक 1. श्री राजेश कुमार 2. श्री रविन्द्र कुमार, वल्दान श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी मोहल्ला– लालजी टोला, पो0– जी0पी0ओ0, थाना– गॉधी मैदान, जिला– पटना, भारतीय नागरिक।

.....द्वितीय पक्ष

यह कि तमामी मवाजी खाता नं0– 17, सर्वे खेसरा नं0– 361, रकवा –24 डिसमिल, तौजी नं0– 129, थाना नं0– 23, वार्ड नं0– 21, जोन– 3, मौजा– ढेलवां, सर्वे थाना– फुलवारी, हाल थाना– राम कृष्णा नगर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना अन्दर पटना नगर निगम तथा पटना विकास प्राधिकार क्षेत्र के दायरे के अन्दर है जिसका पूर्ण विवरण इस एकरारनामा के नीचे परिशिष्ट–1 में दर्ज है।

यह कि प्रथम पक्ष ने अपने उपरोक्त जमीन को जिसका पूर्ण विवरण इस एकरारनामा के नीचे दर्ज है, उसको द्वितीय पक्ष को

(3)

बहुमंजिलीय मकान बनाकर विकसित करने के लिए देना स्वीकार किया है वो द्वितीय पक्ष भी उपरोक्त जमीन पर बहुमंजिली मकान बनाकर विकसित करने के लिए लेना स्वीकार किए हैं ।

यह कि प्रथम पक्ष ने इस लिखित एकरारनामा लिखवाकर द्वितीय पक्ष को बहुमंजिलीय मकान बनाने के लिए उपरोक्त जायदाद परिशिष्ट संख्या–1 पर पूर्ण रूप से इसलिए दखल कब्जा दे दिया है की वो उसपर बहुमंजलीय मकान, फलैट्स वो कार पार्किंग वो दुकान बनायेगें जो निम्नलिखित शर्तो पर दिया गया हैः–

1– यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को विश्वास दिलाया है कि उपरोक्त जमीन जिसका विवरण इस वसीका के परिशिष्ट संख्या–1 में दर्ज है, वो हर प्रकार के नुक्स हकियत वो ऋण भार से मुक्त है, वो अगर बहुमंजलीय मकान बनाने के समय या बनाने के बाद किसी प्रकार का नुक्स हकियत या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी क्षतिपूर्ति का पूर्ण भार प्रथम पक्ष पर रहेगा।

2– यह कि इस एकरारनामा के निष्पादन हो जाने के बाद तुरंत उस जमीन को द्वितीय पक्ष द्वारा अमीन से मापी करवा कर बहुमंजलीय मकान बनाने की कार्रवाई शुरू कर देंगे ।

3– यह कि द्वितीय पक्ष (डेभलपर) उस जमीन पर किसी तरह का बहुमंजिला मकान बनाने का काम नियमानुकूल ही करेंगे तथा जो भी बहुमंजिला मकान बनायेंगे उसे पहले सक्षम पदाधिकारी विभाग के द्वारा जरूरत के मुताविक आदेश प्राप्त करेंगे । इस कार्य के लिए डेभलपर पटना नगर निगम/पी0आर0डी0ए0 से नक्शा प्रपोज्ड प्लान नियम कानून के तहत पास करायेंगे जिसे (प्रपोज्ड प्लान) भू–खण्ड

Alok Kumar 27/10/10

(4)

मालिक को दिखाने के बाद उनकी सहमति से ही दाखिल करेंगे। तत्पश्चात् ही डेवलपर उस भूमि पर बहुमंजिला मकान का नक्शा पास तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे।

4— यह कि डेभलपर यानी द्वितीय पक्ष इस वसीका में दिये गये परिशिष्ट–1 में वर्णित जमीन पर इस शर्त पर यह एकरारनामा कर रहे हैं कि विकसित किया हुआ बहुमंजिला भवन का कुल निर्माण रकवा (बिल्ड–अप एरिया) का 40% (चालीस प्रतिशत) बिल्ड–अप एरिया भू–खण्ड मालिक यानी प्रथम पक्ष को डेभलपर यानी द्वितीय पक्ष बिना किसी जोर दबाव के दे देंगे, जिस पर भू–खण्ड मालिक यानी प्रथम पक्ष का पूर्ण अधिकार एवं स्वत्व एवं दखल–कब्जा हो जायेगा और वे जिस तरह चाहें उस तरह अपना उपयोग, उपभोग करेंगे एवं किसी दूसरे से भी हस्तानान्तरण करने का पूर्ण अधिकार अपने हिस्से के भाग को प्रथम पक्ष को ही रहेगा।

5— यह कि प्रथम पक्ष वो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने–अपने हिस्से को किसी भी दिगर व्यक्ति के साथ उक्त भुभाग सम्पति में विक्रय कर सकते हैं या किराया पर लगा सकते हैं या उस पर व्यवसायिक संस्था से कर्ज ले सकते हैं या खुद निवास कर सकते हैं।

6— यह कि प्रथम पक्ष वो द्वितीय पक्ष को बने हुए बहुमंजिलीय मकान में अपना–अपना हिस्सा किधर मिलेगा इसको दोनों पक्ष आपस में बैठकर सभी तल्ले पर अपने हिस्से के अनुसार पटना नगर निगम/पी0आर0डी0ए0 नक्शा पास होने के बाद तय कर एकरारनामा (Allotment Agreement) बना लेंगे। बाकी अनिर्मित हिस्से जैसे सड़क उसके अगल–बगल के जमीन, खुले हिस्से, सीढ़ी पैसेज, बिजली, पानी

Alok Kumar
22/10/14
22-10-2014

लगाने वाली जगह वगैरह आदि पर प्रथम पक्ष वो द्वितीय पक्ष को अपने–अपने हिस्सा मुताबिक इजमालन दखल–कब्जा में रहेंगे । वो प्रथम पक्ष वो उनके द्वारा जिनको फलैट का हस्तान्तरण करेंगे, उनको वो द्वितीय पक्ष या उसके हस्तान्तरण किये गये फलैटों के व्यक्तियों को उपरोक्त संयुक्त स्थान संयुक्त रूप से उपयोग करने का अधिकार रहेगा।

7– यह कि इस लेख्य के परिशिष्ट–1 (एक) में वर्णित भूमि पर विकास कर बहुमंजिला मकान निर्माण करने का अधिकार सिर्फ द्वितीय पक्ष यानी डेभलपर का ही होगा । भवन निर्माण करने के संबंध में नक्शा पास कराने का काम या किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्राप्त करने की पूरी जबाबदेही सिर्फ द्वितीय पक्ष का ही रहेगा । उन सब चीजों में जो भी खर्च वहन करना पड़े वह खर्च द्वितीय पक्ष ही करेंगे।

8– यह कि भवन निर्माण में किसी तरह का जो भी खर्च या व्यय होगा उस खर्च से डेभलपर द्वारा जो भी भवन निर्माण के संबंध में खर्च होगा उसका हिसाब–किताब, लेन–देन से किसी भी तरह का कोई मतलब या सम्बन्ध प्रथम पक्ष को या उनके वारिसान या उनके उतराधिकारियों को नहीं रहेगा।

9– यह कि बहुमंजलीय मकान पूर्ण रूप से विकसित करने का निर्माण अवधि पटना नगर निगम से नक्शा स्वीकृत होने के बाद 4 (चार) साल के अलावा 6 (छः) महीना के ग्रेस पीरियड के साथ रहेगा। द्वितीय पक्ष खण्ड–खण्ड कर या जिस तरह से सुविधा हो उस तरह उक्त अवधि तक निश्चित रूप से निर्माण का कार्य पूरा कर प्रथम पक्ष को दिये गये 40% (चालीस प्रतिशत) हिस्से के अनुसार पूरा कर लेंगे तथा उक्त अवधि के अन्दर ही पूर्ण रूप से

Alok Kumar
27/10/10
29-10-2010

(6)

निर्मित फलैट/कार पार्किंग/दुकान पर दखल कब्जा प्रथम पक्ष के हिस्से के अनुसार द्वितीय पक्ष करा देंगे। भूखण्ड मालिक के हिस्से में दिया गया 40% (चालीस प्रतिशत) फलैट/कार पार्किंग/दुकान आदि समेत दिया जायेगा जो उक्त भूमि का मुआवजा होगा। भविष्य में भू–खण्ड मालिक एवं उनके वारिसान तथा उत्तराधिकारी भी उक्त भू–खण्ड पर दावा नहीं करेंगे।

10– यह कि किसी अनहोनी घटना या प्रकृति की कोप लीला सरकारी संस्था से रूकावट इत्यादि के वजह से भवन बनाने में जो समय बर्बाद होगा, जिससे भवन निर्माण में विलम्ब होगा उस अवधि को निर्माण की अवधि में नहीं लिया जाएगा।

11– यह कि भवन निर्माण में प्रथम पक्ष के सदस्यों एवं उनके वारिसानों के द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं रहेगा । लेकिन भवन निर्माण सामग्री को जॉच करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। अगर प्रथम पक्ष के सदस्यों एवं उनके वारिसानों के द्वारा बहुमंजलीय कार्य रोक दिया जाता है तो वह अवधि निर्माण अवधि में नहीं लिया जायेगा।

12– यह कि डेभलपर को यानी द्वितीय पक्ष को अपने सुविधा के अनुसार एक या एक से अधिक ब्लॉक (खंड) में नियमानुसार भू–खण्ड पर भवन का निर्माण करेंगे । इस पर प्रथम पक्ष को किसी तरह का कोई एतराज या आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

13– यह कि समय अनुसार या नियम कानून के अनुसार निर्माणाधीन भवन में किसी तरह का फेर–बदल करना पड़े तो भवन निर्माता यानी डेभलपर प्रथम पक्ष से विचार कर उस कार्य को करने

Ajay Kumar
27/9/10
29-9-2010

के लिए बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे।

14– यह कि डेभलपर स्वयं या किसी अन्य भवन निर्माता या ठीकेदार को रख कर भवन–निर्माण करायेंगे, निर्माण के समय अभियंता या अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति या प्रोन्नति या हटाने का पूर्ण अधिकार सिर्फ द्वितीय पक्ष को ही रहेगा । उसी प्रकार, द्वितीय पक्ष सुविधा अनुसार अभियंता, आर्किटेक्ट, सर्वेयर बहाल कर सकते हैं । जिसका संपूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष को वहन करना है जो दायित्व है।

15– यह कि दोनो पक्षकार सहमत है और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा– 5(1) एवं 5(2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों का पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक 60% एवं भू–स्वामी 40% अपने अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने–अपने हिस्से को पृथक से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकूल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। जिसके लिए विकासक/संप्रवर्तक को भी अलग से किसी भी पावर ऑफ अटर्नी या किसी एग्रीमेन्ट की जरूरत नहीं होगी । विकासक अपने हिस्से का 60% (साठ प्रतिशत) क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एरारनामा करेंगे । जिसमें जमीन मालिक के 40% (चालीस प्रतिशत) हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा। इसके बावजूद भी अगर आवश्यकता होगी तो जमीन मालिक एवं अनिबंधि

Alok Kumar
27-10-2012

Alok Kumar
27-10-2012

(8)

ात/निबंधित सामान्य पावर ऑफ अटर्नी देंगे और डेवेलपर अथवा/और उनके नामित व्यक्ति अथवा उतराधिकारियों के पक्ष में पंजीकृत कराएंगे जिससे डेवेलपर को कार्य करने में कोई वाधा या विरोध न हो और उसके द्वारा डेवेलपर को उक्त भूमि पर शांति पूर्वक काम करने के लिए अधिकार देंगे जो अन्नयन के लिए उसकी योजना बनाने के लिए तथा उक्त इमारत के निर्माण तथा फलैटों की बिक्री रजिस्ट्री इत्यादि के लिए विकासक एवं जमीन मालिक अपने–अपने हिस्से को अलग–अलग करेंगे।

16– यह कि इस लेख्य के परिशिष्ट संख्या–1 (एक) में वर्णित भूमि पर भवन निर्माण करने के संबंध में पटना नगर निगम या किसी अन्य विभाग में आवेदन देने की जरूरत पड़े या हस्ताक्षर करने की जरूरत पड़े या मुकदमा करने या अधिवक्ता बहाल करने या वकालतनामा लिखने या शपथ–पत्र या अन्य किसी चीज की जरूरत पड़े तो यह कार्य करने के लिए द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगें। परन्तु, इन सबों की सूचना भू–खण्ड मालिक या उनके प्रतिनिधि को कर देंगे।

17– यह कि द्वितीय पक्ष भू–खण्ड मालिक के 40% (चालीस प्रतिशत) हिस्से को छोड़कर अपने हिस्से के खरीददार ट्रांसफरी के हित में अपने किसी भी फलैट/ दुकान/ ब्लॉक सिक्यूरिटी के रूप में रहेगा । इस कर्ज की पूरी भरपाई खरीददार स्वयं करेंगे। दूसरे शब्दों में इस कर्ज से संबंधित देनदारी प्रथम पक्ष की नहीं होगी। इस कार्य में प्रथम पक्ष किसी तरह की कोई आपत्ति प्रकट नहीं करेंगे।

18– यह कि इस एग्रीमेन्ट के तहत जो भी अधिकार भू–खण्ड मालिक को प्राप्त है, वह पूरा अधिकार उनके उत्तराधिकारी/वारिसान (Nominee) का भी रहेगा। भवन में सार्वजनिक स्थान, सीढ़ी, सार्वजनिक

Alok Kumar
27-10-2010

(9)

पार्किंग का जगह कैम्पस, लिफ्ट, पोर्टिकों इत्यादि में जो अधिकार डेभलपर या उनके वारिसान का होगा वही अधिकार भू–खण्ड मालिक या उनके उत्तराधिकारी/वारिसान का रहेगा।

19– यह कि प्रथम पक्ष या उनके उत्तराधिकारी/वारिसान तथा द्वितीय पक्ष या उनके वारिसान में भविष्य में किसी प्रकार का विवाद खड़ा हो जाय, वैसी स्थिति में आपस में मिलजुल कर समझौता कर लेंगे फिर भी विवाद समाप्त नहीं होता तो वैसी हालत में पटना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में विवाद लाने का अधिकार रहेगा।

20– यह कि यह डेभलपर एग्रीमेन्ट किसी भी समय या किसी भी आधार पर डेभलपर एवं भू–खण्ड मालिक का साझेदारी नहीं समझा जायेगा।

21– यह कि इस भूखण्ड पर बने भवन में सबसे उपरी छत प्रथम पक्ष एवं दूसरे पक्ष अपने निर्धारित हिस्से के मुताबिक विभाजित कर लेंगे और अपने हिस्से में मिले भाग को चाहे रखें या किसी दूसरे के हाथ बेच दे और इस तरह एक के भाग से दूसरे को कोई संबंध विभाजन के बाद नही रह जायेगा । विकासक इस तरह से उस छत का विभाजन करेंगे की दोनों के मिले हुए भाग में जाने का स्वतंत्र रास्ता होगा।

22– यह कि भविष्य में उपरी छत के उपर भी निर्माण की वैधानिक जरूरत पड़े तो उपर निर्मित भाग में भी दोनों पक्षों की हिस्सेदारी पूर्ववत् रहेगी।

23– यह कि बहुमंजलीय भवन का नाम "**जनक स्टेट**" होगा।

24– यह कि यदि डेभलपर निर्माण में अनुमोदित नक्शे का विचलन

Alok Kumar
29/9/12
29-9-2012

करें तो उसकी जिम्मेवारी डेभलपर की होगी और यदि प्रथम पक्ष उस विचलित भाग में अपना हिस्सा लेना चाहेंगे तो उसको नियमानुकूल करने में जो राशि खर्च होगा उसका आनुपातिक राशि खर्च करेंगे और हिस्सा भी उसी अनुसार रहेगा।

25– यह कि इस एग्रीमेन्ट के निष्पादित होने के दिन से ही भूखण्ड पर डेवलपर यानि द्वितीय पक्ष का बहुमंजिलीय मकान बनाने के लिए अधिकार हो जायेगा और डेवलपर उस जमीन पर विकास या निर्माण हेतु अपने खर्च पर कार्य प्रारम्भ कर देगा । इसमें भू–खण्ड मालिक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

26– यह कि डेवलपर इस लेख्य के परिशिष्ट संख्या–1 में वर्णित भू–खण्ड पर भवन निर्माण करने में डेवलपर को कोई पार्टनर या साझेदार की आवश्यकता हो या कोई सोसायटी या कोई कॉरपोरेट बॉडी शामिल करने की जरूरत हो, तो वह स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं । इसमें किसी प्रकार की आपत्ति, भूखण्ड मालिक को नहीं होगी।

27– यह कि समय–सीमा के अन्दर प्रथम पक्ष के हिस्से को डेवलपर द्वारा पूरा नहीं करने पर डेवलपर के आर्किटेक्ट के मुताबिक डेवलपर भू–खण्ड मालिक को प्रति स्कावयर फीट रू0 1/– (एक रूपये मात्र) के हिसाब से प्रत्येक माह किराया देना होगा। यह किराया प्रथम पक्ष के 40% (चालीस प्रतिशत) के बचे हुए हिस्से पर ही लगेगा जिसका दखल कब्जा प्रथम पक्ष को नहीं दिया गया है।

28– यह कि भूखण्ड स्वामी एवं विकासकर्त्ता बिहार अपार्टमेन्ट ऑनरशीप एक्ट 2006 तथा बिहार अपार्टमेन्ट ऑनरशीप रूल 2006 के अन्तर्गत निर्माण कार्य एवं सारी सुख–सुविधा सहित निर्माण करेंगे तथा अपने–अपने हक वो हिस्सा के शेयर को इस्तेमाल में लावेंगे तथा

Alok Kumar
27/10/20

अपने–अपने खरीदार को बिक्री करेंगे एवं बैयवेयाना, बंधक, लीज, बिक्रय–पत्र तथा किसी भी प्रकार के दस्तावेज के निबंधन में पावर ऑफ एटॉर्नी की आवश्यकता इस कानून के तहत नही है और न भविष्य में होगा।

29– यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के 40% (चालीस प्रतिशत) के हिस्से में निम्नलिखित प्रकार की सामग्री लगाकर देंगे।

(क) जमीन सतह (फ्लोरिंग)– फलैट की सभी सतह पर मार्बल फलोरिंग होगा।

(ख) खिड़की–ग्लास के साथ स्टील खिड़की (लोहे का खिड़की) पेन्ट किया हुआ रहेगा।

(ग) दरवाजा–सखुआ के लकड़ी का चौखट के साथ 30 एम0एम0 का मोटा प्लस वाटरप्रूफ प्लाईबोर्ड का दरवाजा पेन्ट किया हुआ रहेगा।

(घ) रसोई–रसोई का मेन स्लैब 20 इंच चौड़ा जिसका उँचाई जमीन से 30 इंच रहेगा, इस पर ग्रेनाइट का स्लैब लगा हुआ रहेगा, स्लैब के उपर दीवाल पे 30 इंच उँचा ग्लेज टाईल्स लगा रहेगा ।

(ड़) स्नानघर (बाथरूम)–बाथरूम के दीवाल पे सात फीट उँचा ग्लेज टाईल्स सभी तरफ लगा हुआ रहेगा । सभी फलैट में दो बास बेसिन तथा दोनों बाथरूम में हॉट कोल्ड पानी का पाईप लगा हुआ रहेगा ।

(च) दीवाल व्हाईट वाश– पी.ओ.पी से किया हुआ

Ashok Kumar 27/10/10
27-10-2010

दीवाल रहेगा।

(छ) टेलीफोन तथा केबल– टेलीफोन तथा केबल का ड्राइंग हॉल में प्वाइंट दिया हुआ रहेगा ।

(ज) बिजली–नक्शे के हिसाब से सभी जगह बिजली का प्वाइंट दिया हुआ रहेगा। सभी समान आई0एस0आई0 मार्क का होगा।

(झ) जनरेटर एवं लिफ्ट लोड कैपिसीटी के अनुसार दिया जायगा।

परिशिष्ट संख्या–1 (एक)

यह कि तमामी मवाजी खाता नं0– 17, सर्वे खेसरा नं0– 361, रकवा –24 डिसमिल, तौजी नं0– 129, थाना नं0– 23, वार्ड नं0– 21, हाल वार्ड नं0– 32, जोन– 3, मौजा– ढेलवां, सर्वे थाना– फुलवारी, हाल थाना– राम कृष्णा नगर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना अन्दर पटना नगर निगम तथा पटना विकास प्राधिकार क्षेत्र के दायरे के अन्दर है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर – रेाड

दक्षिण – सर्वे खेसरा नं0– 359, 360

पुरब– नीज

पश्चिम– सर्वे खेसरा नं0– 357

मौजा– ढेलवा, रकवा–24 डिसमिल जिसका थाना कोड नं0– 315, जोन–3 के आवासीय मेन रोड का

Alok Kumar 27/10/10

27-10-2010

दाम मो0 1, 50, 282/– रूपये प्रति डिसमिल है, जिसका कुल कीमत मो0 36, 06, 768/– रूपये होगा, जिस पर स्टाम्प ड्यूटी 2 % के हिसाब से मो0 72, 136/– +100/– वो अन्य फीस बैंक चालान के माध्यम से जमा है।

यह कि इस लेख्य में लिखी सारी बातों को लेख्य के समक्ष पक्षगण/पक्षकार पढ़कर एवं पढवाकर अच्छी तरह समझ–बुझ लिया तथा सही पाकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष अपना हस्ताक्षर कर दिया।

1. [illegible]
 29-10-2010
2. Alok Kumar
 27-10-2010

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष (भू–खण्ड मालिक)

1. Rajesh Kumar
 27/10/2010

2. [illegible] 27/10/10

मेसर्स श्री रवि होम्स प्रा0.लि0.

पैन न0 AAKCF8278F

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष (डेभलपर)

दलाह ग्रेण

1. Pankaj Kumar
 S/o Sri Hajari Rajak
 Vill+Po: Rupas Mahaji
 P.S+ Bakhtiarpur Patna
 27/10/10
2. Binod Kumar
 S/o Suresh Pd.
 R/o Changal P.S.
 Kankarbagh Patna
 27/10/10

Drafted by

Sushil Kumar Sinha
Advocate



सहमति–सह शपथ पत्र

1. यह कि हम लोगों का नाम एवं पता निम्नलिखित है:–

(क) चन्द्रदीप राय उम्र 73 वर्ष (आधार नं0. 3307 7860 2587)

(ख) लक्ष्मी नारायण राय उम्र 68 वर्ष (आधार नं0. 2375 3482 5344)

(ग) गिरिजानन्दन राय उम्र 58 वर्ष (आधार नं0. 4372 5210 5970)

(घ) मोफिल राय उम्र 57 वर्ष (आधार नं0. 8089 9570 0428)

(ड) मोती लाल राय उम्र 61 वर्ष (आधार नं0. 9935 6263 1494)

सभी वल्दान स्व0 जनक राय निवासी ग्राम चांगर, अशोक नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, थाना कंकड़वाग, जिला पटना, पिन कोड 800020, भारतीय–नागरिक।

2. यह कि हम लोगो का परति जमीन मवाजी 82 डिसमिल अन्दर थाना नं0– 23, तौजी नं0– 129, खाता नं0– 17, सर्वे खेसरा/प्लौट नं0– 361, वार्ड नं0– 21, वाके मौजा– ढेलवां, सर्वे थाना– फुलवारी शरीफ, हाल थाना– राम कृष्णा नगर, जिला पटना है वो हर प्रकार के झगड़ा–झंझट वो ऋण भार दोष से मुक्त है।

3. यह कि हम लोगों ने उपरोक्त जमीन पर वहुमंजीलीय भवन वनाने के लिए मेसर्स श्री रवि होम्स प्रा0. लि0., कार्यालय–लालजी टोला, थाना– गाँधी मैदान, जिला– पटना के निदेशकगण राजेश कुमार वो रविन्द्र कुमार दोनों वल्दान श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी मोहल्ला– लालजी टोला, पो0– जी0पी0ओ0, थाना– गाँधी मैदान, जिला– पटना को रजिस्ट्र डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट डीड न0 21896 एवं 26266 के द्वारा दिनांक 23.08.2010 एवं 27.10.2010 को दिया गया है।

4. यह कि हम लोगों ने उक्त रजिस्ट्र डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट में वर्णित सभी तथ्यों से अवगत एवं सहमत हैं इसमें हमलोगों को किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है।

5. यह कि हमलोग पुष्टि करते है की इस सहमति–सह शपथ पत्र में उपरोक्त लिखी सारी बातें हमारी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

1. चन्द्रदीप राय
2. लक्ष्मीनारायण राय
3. गिरिजानन्दन राय
4. मोफिल राय
5. मोतीलाल सिंह

Sri/Smt. who is identified by Sri..... Advocate Solemnly affirmed declared before me

I identify the deponent LTI who has signed in my presence

Dharmendra Singh
Advocate
C.O.R. PATNA
Reg. No.-2847/92

Dharmendra Singh
PATNA SADAR
Reg No 159/18
2022

IT 0000468464

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

DATE & TIME :	06-SEP-2021 14:41:34
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :	SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
LOCATION :	CIVIL COURT PATNA
e-COURT RECEIPT NO :	BRCT0616I2116L800
e-COURT FEE AMOUNT :	₹95
	(Rupees Ninety-Five Only)

BRCT0616I2116L800

₹5
BIHAR COURT FEE
BRCT0727078I2156O
07-SEP-2021

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.